

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

फोन नं० ०६१२-२२१९५४५ (काठ)
फैक्स नं०-०६१२-२२१८९००
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

11-06-2013

—: आदेश :—

विविध शस्त्र अनुज्ञाप्ति वाद संख्या-०९-४२९/२०१२ में आवेदक श्री अभय किशोर, पिता-स्व० अवध किशोर सिंह, सा०-गोरखरी, थाना-विक्रम, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन-पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-११.०६.२०१३ को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे वार्ड पंच हैं। इनकी पत्नी बेवी देवी, जो गोरखरी पंचायत की मुखिया थी, की हत्या जुलाई २०१२ में अपराधकर्मियों द्वारा कर दी गयी थी, जिसके संदर्भ में परसा थाना कांड सं०-९८/२०१२ दर्ज है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक-१९३/गो०, दिनांक-२८.०२.२०१३ द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पालीगंज, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, विक्रम की अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदक के अनुज्ञाप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, विक्रम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक वार्ड पंच हैं। इनकी पत्नी बेवी देवी, जो गोरखरी पंचायत की मुखिया थी, की हत्या जुलाई २०१२ में अपराधकर्मियों द्वारा कर दी गयी थी, जिसके संदर्भ में परसा थाना कांड सं०-९८/२०१२ दर्ज है। तदोपरान्त इनके जान-माल की सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञाप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम १९५९ की धारा ३, शस्त्र नियम १९६२ में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-११०१६/२००९, शस्त्र

१-

दिनांक-31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री अभय किशोर, पिता-स्व0 अवध किशोर सिंह, सा0-गोरखरी, थाना-विक्रम, जिला-पटना को उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञाप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री किशोर को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञाप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रामाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञाप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञाप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।